मूल्य 1 रुपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 69 | मई, 2024 | अंक 05 | कुल पृष्ठ 6

एमएसपी को कानूनी रूप से अच्छा कैसे बनाया जाए

-अजय वीर जाखड़, अध्यक्ष, भारत कृषक समाज

इस महीने की शुरुआत में, किसान कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मांग को लेकर फिर से सड़कों पर थे। पंजाब की राजनीति पर केंद्रित आंदोलन विफल हो गया क्योंकि यूनियनें गुटबाजी से ग्रस्त थीं। हालाँकि, कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी या इसकी अव्यवहारिकता के बारे में बहस जारी है। ऐसे एमएसपी की मांग करने वालों के बीच मतभेद पैदा करने से बचने की कोशिश में, कई अनसुलझे मुद्दों को दबा दिया गया है। मुझे डर है कि ये बाद में विवादास्पद हो सकते हैं। व्यापक सहमति विकसित करने और इसके संचालन तंत्र के बारे में सोचने से पहले 'कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी' की मांग करना, बैल के आगे गाड़ी रखने जैसा है।

एमएसपी विभिन्न फसलों के लिए सरकार द्वारा गणना की गई कीमत है, जिसमें से कुछ वह अपने खाद्य सुरक्षा बफर स्टॉक के लिए खरीदती है, गरीबों को पुनर्वितरित करती है, मुद्रास्फीति को कम करती है और कीमतों को स्थिर करती है। इस प्रक्रिया में किसानों को वित्तीय सहायता मिलती है। इसलिए, कोई भी सरकार एमएसपी की घोषणा और इस समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद बंद नहीं करेगी। कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी काफी हद तक किसान के इस मूल्य को प्राप्त करने के अधिकार को दर्शाता है।

लघु लेख सम्मिलित करेंकई मुद्दों पर कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी की मांग करने वालों के बीच एकमत नहीं है। हालांकि पिछले 10 वर्षों में एमएसपी से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, लेकिन ऐसे किसान अल्पसंख्यक बने हुए हैं। अनाज उगाने वाले किसान उन 23 फसलों के लिए कानूनी प्रावधानों से समझौता करके खुश होंगे जिनके लिए वर्तमान में एमएसपी उपलब्ध है। ये देश के कुल कृषि उत्पादन का लगभग 28 प्रतिशत ही हैं। अन्य उत्पादक चाहते हैं कि सभी कृषि उपज को कवर किया जाए। शिक्षाविद भी बंटे हुए हैं. किसानों की मांग का समर्थन करने वाले कई लोगों का मानना है कि प्रावधानों को ताजे फल और सब्जियों जैसी खराब होने वाली वस्तुओं तक नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि उन्हें लागू करना असंभव होगा।

किसानों का मानना है कि कानूनी एमएसपी लागू होने के बाद सरकार को हर चीज की भौतिक खरीद करनी होगी. यह विचार निराधार है और लगभग उन सभी लोगों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है जो समझते हैं कि एमएसपी को विभिन्न माध्यमों से सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जैसे कि खरीद या सरकार द्धारा बाजार मूल्य और एमएसपी के बीच अंतर का भुगतान करना। कई लोगों का मानना है कि कानून का मतलब यह होगा कि जो व्यापारी एमएसपी से नीचे उपज खरीदते हैं, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। इसी तरह, ऐसा प्रावधान किसानों को बाजार मूल्य और एमएसपी के बीच अंतर का भुगतान करने के विकल्प को नकार देगा, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण बाजार मूल्य खोज तंत्र को खत्म कर देगा।

यदि कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी को लागू किया जाना था, तो इसे क्षेत्र की फसल उत्पादन योजना के अनुसार संचालित किया जाएगा - एक विशेष क्षेत्र में, एक किसान को ब्लॉक की कृषि-जलवायु परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। धान उगाने वाले किसान अन्य फसलों की ओर रुख नहीं करना चाहेंगे क्योंकि विकल्प कभी भी उतने लाभदायक नहीं हो सकते। दूसरी ओर, एक कानूनी अधिनियम के परिणामस्वरूप पूरे भारत में विभिन्न फसलों की खरीद और समर्थन में तेजी से विस्तार होगा। इसलिए, बढ़ी हुई लागत और हस्तक्षेप के पैमाने को देखते हुए, यह तर्कसंगत है कि हस्तक्षेप प्रति किसान परिवार सीमित उपज (पांच एकड़ मूल्य) के लिए होगा। यह सभी राज्यों में सभी फसलों (गेहूं और धान को छोड़कर) के लिए मानक है। इन दो बुनियादी बातों के कारण पंजाब में धान और गेहूं की खरीद कम से कम एक तिहाई कम हो सकती है। इससे भयंकर और घृणित टकराव के बीज बोये जायेंगे।

कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी की गणना में अस्पष्टता के कारण अधिक जटिलताएँ हो सकती हैं। वर्तमान में, सीएसीपी, जो एमएसपी निर्धारित करती है, देशव्यापी लागत के औसत के आधार पर इसकी गणना करती है। उदाहरण के लिए, गेहूं के लिए एमएसपी 2,275 रुपये है। पंजाब के लिए, C2 उत्पादन लागत 1,503 रुपये है जबकि छत्तीसगढ़ में यह 1,939 रुपये है। इसलिए, पंजाब में किसानों को उनकी संबंधित C2 उत्पादन लागत पर 51.36 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में उनके समकक्षों को 17.33 प्रतिशत प्राप्त होता है। कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी शासन में, बिहार और यूपी जैसे राज्यों के लिए यह स्वाभाविक ही होगा, जिनके पास कुल मिलाकर 120 संसदीय सीटें हैं - अपने किसानों के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य-विशिष्ट एमएसपी पर जोर देना।

यह माना जाता है कि केंद्र सरकार कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी के लिए बिल पेश करेगी। हालाँकि, बेहतर जानकारी रखने वाले कई लोग इस बात पर कायम हैं कि तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य दृढ़ता से आपत्ति जताएंगे और इस बात पर जोर देंगे कि धन के हस्तांतरण के अनुपात पर वित्त आयोग के मानदंडों के अनुसार लागत साझा की जाती है - राज्यों से 41 प्रतिशत और केंद्र से 59 प्रतिशत। यह कोई नई बात नहीं है: पहले से ही, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, आरकेवीवाई- रफ़्तार जैसी सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 60:40 का अनुपात है, जहां एक राज्य को 40 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ आगे बढ़ना होता है। एक बार एमएसपी कानून बन जाए तो राज्यों को अपना हिस्सा देना होगा। यदि यह उन्हें स्वीकार्य नहीं है, तो वित्त आयोग के केंद्रीय पूल में उनकी हिस्सेदारी चार प्रतिशत से अधिक कम करनी होगी।

विडंबना यह है कि पंजाब के किसान, जो वर्तमान व्यवस्था से आर्थिक रूप से लाभान्वित होते हैं, आंदोलन कर रहे हैं। यदि वे देश के लिए गारंटी हासिल करने में सफल हो गए तो वास्तव में वे हार जाएंगे। वे पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक फसलों के लिए अनुबंध खेती सौदे से बेहतर ('सेविंग पंजाब फ्रॉम राइस', आईई, 20 दिसंबर, 2023 भी देखें) के हकदार हैं, जिस पर केंद्र सरकार सहमत हो गई है।

अंत में, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो इस मुद्दे पर हर चर्चा में गायब है, वह यह है कि भारत की लगभग 42 प्रतिशत आबादी सीधे तौर पर कृषि गतिविधियों पर निर्भर है। इस आबादी के नब्बे प्रतिशत, भूमिहीन श्रमिक, सीमांत और छोटे किसानों के पास या तो बेचने के लिए कोई उपज नहीं है या बहुत कम अधिशेष है। इसलिए, भले ही उन्हें C2+50 प्रतिशत एमएसपी मूल्य प्राप्त हो, लेकिन इससे उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए पर्याप्त आय नहीं मिलेगी। फिर प्रासंगिक सवाल यह है: किसान यूनियनें एमएसपी से आगे क्यों नहीं देखतीं? हालाँकि किसानों को समर्थन की आवश्यकता है, लेकिन कोई सटीक समाधान नहीं हैं। कुछ और पीढ़ियों के नष्ट होने से पहले एमएसपी के साथ-साथ हस्तक्षेप का सही संयोजन निर्धारित करने की आवश्यकता है।

भारत कृषक समाज की बुनियाद 3 अप्रैल, 1955 को रखी गई थी। अटूट भावना के साथ, हम गर्व से अपने 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जो भारत के किसानों की समृद्धि के लिए हमारी स्थायी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है।

कृषक समाचार 1960 और 1970 के दशक के लेखों के साथ हमारी विरासत की प्रतिध्वनियों को उजागर करते हुए पुनः खोज की यात्रा पर निकल पड़ा है। जैसे ही हम स्मृति के क्षेत्रों से गुज़रते हैं, हमारे साथ जुड़ें, जहाँ अतीत का ज्ञान हमारे साझा भविष्य के लिए मार्गदर्शन में विकसित होता है।

हम सब मिलकर अपनी बुनियादी जड़ों का सम्मान करेंगे और आगे का रास्ता मजबूत करेंगे!

कृषक समाचार, मई 1964 अंक में प्रकाशित संपादकीय

डॉ. पंजाबराव देशमुख, अध्यक्ष पत्र संख्या 28

"भारत की त्रासदी गरीबी नहीं, बल्कि वह मानसिकता है जो इसे स्वीकार करती है, इसे माफ कर देती है। जरूरत मशीनरी की उतनी नहीं, जितनी प्रेरणा की है।" वेल्स हैंगेन की 'आफ्टर नेहरू हू?' (नेहरू के बाद कौन?) से पृष्ठ संख्या 26

हमने नई दिल्ली के तालकटोरा गार्डन्स में 18 से 22 मार्च 1964 तक जिस तरह नौवें और दसवें संयुक्त किसान सम्मेलन का आयोजन किया, उससे मैं बेहद गर्वित महसूस कर रहा हूं। मैं गर्वित हूं, क्योंकि गरीबी के लिए प्रसिद्ध हो चुके भारत के कृषक समुदाय, जिसमें अब गरीबी निरंतर बढ़ रही है, के अनेक प्रतिनिधियों ने वास्तव में सम्मेलन में भाग लिया। उनकी संख्या हमारी उम्मीदों से बहुत कम थी, परंतु उनका प्रतिनिधित्व सबसे व्यापक था। वे भारत के हर राज्य से, हर कोने से आए थे। इस किसान सभा में हुई मंत्रणा और तमाम बैठकों की कार्यवाही काफी महत्वपूर्ण हैं। मुझे खास तौर से वे पांच प्रस्ताव पसंद हैं जिन्हें हमने एकमत से अपनाया, साथ ही किसानों और कृषि उपज को प्रभावित करने वाले तमाम मसलों पर हमारी संवेदनशील सिफारिशें भी। इस नजरिए से मैं इस सम्मेलन को अत्यंत सफल और महत्वपूर्ण मानता हूं। इसलिए चाहता हूं कि इस सम्मेलन का संदेश भारत के

अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचे।

सम्मेलन के एक सप्ताह के भीतर मैंने इसी विषय पर संसद में भाषण दिया था, जिसे 'कृषक समाचार' के मौजूदा अंक में प्रकाशित किया गया है। मैं किसानों के भाग्य के बारे में जितना सोचता हूं, मेरा यह विश्वास उतना दृढ़ होता जाता है कि किसानों और कृषि उद्योग के बारे में लोगों के विचारों में शांतिपूर्ण क्रांति लाने का प्रयास किए बिना भारत की अधिक तरक्की की उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैं यहां जो कह रहा हूं, वह अनेक हस्तियां पहले कह चुकी हैं। योजना आयोग और सरकार में बैठे अनेक लोग भी इससे एक राय रखते हैं। हमारा लक्ष्य पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण क्रांति है, लेकिन हमें इसकी शुरुआत स्वयं से करनी पड़ेगी। यदि किसान स्वयं अपनी स्थिति को लेकर सचेत नहीं होंगे, यह नहीं समझेंगे और बताएंगे कि उन्हें क्या चाहिए, यह नहीं जानेंगे कि वे अपना भला कैसे कर सकते हैं, तो बाहर से मिलने वाली कोई भी मदद या सहानुभूति हमारे किसी काम की नहीं होगी।

इसलिए, 'समाज' के हर छोटे-बड़े सदस्य से, और हर उस व्यक्ति से जिसे किसानों के हेतु से सहानुभूति है और जिसे देश के भविष्य की चिंता है, मैं आग्रह करता हूं कि उन्हें इस सम्मेलन का संदेश यथासंभव अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाना चाहिए। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं- भारत सरकार साल दर साल करोड़ों रुपये खर्च करती है, लेकिन उसमें किसानों को वास्तव में शायद ही कुछ मिलता है। उन्हें कुछ मिलने की संभावना भी प्रतीत नहीं होती क्योंकि यह सिर्फ उनके लिए उपलब्ध है जो दिल्ली पहुंच सकते हैं और इन फंडों पर अपना हाथ रख सकते हैं। गरीब अभागे किसान इतने कमजोर, इतने अशिक्षित और इतने दूर हैं कि इन फंडों का निस्तारण करने वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क में यह विचार तक नहीं आता कि ये किसान भी इसके पात्र हैं।

अनेक मूर्ख और विकृत मानसिकता के लोग यह समझते हैं कि कृषि पर होने वाला सारा खर्च किसानों के लिए तोहफा है। उनका ध्यान इस तथ्य पर नहीं जाता कि अगर सिंचाई, बिजली आदि पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं तो किसान को भी पानी की हर बूंद और बिजली की हर यूनिट का पैसा देना पड़ता है। उसे अपनी आधी एकड़ जमीन पर भू-राजस्व में एक रुपए की भी छूट नहीं मिलती है। इसके विपरीत गैर-किसानों को 4000 रुपए तक की आमदनी पर आयकर में छूट मिलती है। यही नहीं, प्रतिमाह 600 रुपए कमाने वाले को भी मदद के लिहाज से जरूरतमंद समझा जाता है। महंगाई भत्ता, प्रतिमाह 300 रुपये तक की आय की सीमा तक ही वह जमीन रख सकता है।दूसरी तरफ शहरों में संपत्ति अथवा आमदनी की सीमा निर्धारित करने पर शायद ही किसी ने विचार किया हो। इसलिए मैं ऊपर बताए अपने आग्रह को अपने किसान भाइयों को शिक्षित करने की दिशा में पहला कदम मानता हूं। किसान सम्मेलन में पारित पांच प्रस्तावों को उनके सामने पढ़ा जाए और उन्हें समझाया जाए। किसानों के बिना पर मैंने लोकसभा में जो कहा उसे भी गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। हमारे पास देश भर में आजीवन सदस्य तथा अन्य सदस्य हैं, फिर भी मेरे विचार से यह संदेश इतना पवित्र है कि जो सदस्य नहीं हैं, वे भी इस कार्य में हमारी मदद कर सकते हैं।

अब आपको इस दिशा में बढ़ना है। मेरा कृषक समाज के राज्य सचिवों से आग्रह है कि वे अपने-अपने राज्य की भाषा में इनका अनुवाद कराएं, हालांकि 'कृषक समाचार' पहले ही हिंदी, पंजाबी, मराठी और अंग्रेजी में प्रकाशित हो रहा है। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ होउंगा, अगर आप एक पोस्टकार्ड भेज कर मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मेरे इस आग्रह पर क्या कदम उठाए गए, कितने लोगों को आपने यह संदेश पढ़ कर सुनाया और कितने गांवों का दौरा किया। भारत कृषक समाज के

गठन के दसवें वर्ष में हम इसे अपनी उपलब्धि के गौरवशाली रिकॉर्ड के तौर पर रखेंगे।

कृषक समाचार, मई 1974 अंक में प्रकाशित लेख

कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की जरूरत

आर.वी. स्वामीनाथन, (मदुरै, तमिलनाडु से सांसद)

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण सेक्टर है। हम अपने आस-पास जो समस्याएं देखते हैं, उनका कारण खाद्य सामग्री तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी है। देश भर में आंदोलन का कारण भी यही है कि कृषि क्षेत्र देश की जरूरतें पूरी करने लायक उपज पैदा नहीं कर रहा है। पर्याप्त मात्रा में कृषि जिंस पैदा करने में इस क्षेत्र की विफलता भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को विपरीत तरीके से प्रभावित करती है। इसमें औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल है। इसलिए देश की समग्र अर्थव्यवस्था के हित में जरूरी है कि कृषि क्षेत्र का तीव्र गति से विकास किया जाए और संसाधनों के आवंटन में इस सेक्टर को शीर्ष प्राथमिकता दी जाए। सवाल है कि क्या हम वैसा कर रहे हैं?

बहु-प्रचारित हरित क्रांति को एक झटका लग चुका है। पिछले साल की तुलना में 1972-73 में खाद्यान्न उत्पादन में एक करोड़ टन की गिरावट आई। उत्पादन में कमी 1973-74 में भी है। अन्य कारणों के साथ देश में सूखे की भी इसमें विराट भूमिका रही है। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों और कृषक समुदाय को अधिक उपजाने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय कुछ लोगों के लिए कृषि क्षेत्र और कृषक समुदाय पर हमला करना आज का फैशन बन गया है। यह बड़े खेद की बात है कि अनेक लोग कारणों और हमारे देश के कृषि क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं।

1973 में हमने 319.52 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च करके 36.14 लाख टन खाद्यान्न का आयात किया। यदि हम किसानों को प्रोत्साहित करने में थोड़ी और रुचि दिखाएं तो वे ज्यादा उत्पादन करेंगे। इससे यह अंतर कम होगा और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। पौधे तीन बुनियादी इनपुट के बिना नहीं बढ़ सकते। ये हैं- पानी की सुविधा, बेहतर किस्म के बीज और उर्वरक। बड़ी मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति के बिना हम कृषि क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन और लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। लेकिन हम किसानों जरूरत के मुताबिक उर्वरकों की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। पिछले साल मुझे भी उर्वरक के एक बैग के लिए तीन गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि वितरण प्रणाली में कुछ खामियों के चलते हम उर्वरक नहीं खरीद पा रहे थे। पूरे देश में उर्वरकों का एक समान वितरण होना चाहिए।

उर्वरकों का घरेलू उत्पादन कम है, इसलिए हमें इनका अधिक मात्रा में आयात करके इनकी भीषण कमी दूर करनी चाहिए। विदेश से उर्वरक आयात के लिए 358 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उर्वरक आयात के लिए प्रावधान में व्यापक बढ़ोतरी की आवश्यकता है। बड़ी नदी घाटियों अथवा सिंचाई परियोजनाओं में समय बहुत लगता है और खर्च भी ज्यादा आता है, इसलिए हमें भू-जल संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। किसानों की मदद के मकसद से ट्यूब वेल के जरिए भूजल के प्रयोग के लिए हमें एक केंद्रीय ट्यूब वेल निगम का गठन करना चाहिए। ट्यूब वेल गांवों के साथ टैंक बेड में भी लगाए जाते हैं। इसे पूरे देश के स्तर पर किया जाना चाहिए।

यहां मूल्य का कारक बहुत अहम है। अभी जो कीमत तय की गई है वह उत्पादन लागत के अनुरूप नहीं है। कृषि में पारितोषिक मूल्य उत्पादन लागत के आधार पर होने चाहिए। किसान के लिए उपज की लागत क्या

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2024-26
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं. U(C)-92/2024-26

प्रकाशन की तिथि : 1 मई, 2024
एल.पी.सी., दिल्ली आर.एम.एस, दिल्ली–6,
तारीख 4 एवं 5, मई, 2024

है, इनपुट के लिए वह कितनी अधिक कीमत चुकाता है तथा व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए अन्य कमोडिटी खरीदने पर वह कितना खर्च करता है, किसी को इन बातों की परवाह नहीं है। यदि आप उसकी उत्पादन लागत के अनुसार दाम थोड़ा बढ़ा दें तो हम आयात पर होने वाला खर्च बचा सकेंगे। छोटे रकबे वाले किसान ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन तथा अन्य महंगी आयातित मशीनरी नहीं खरीद सकते हैं। अतः इसके लिए पूरे देश में कृषि सेवा केंद्र खोले जाने चाहिए, जहां किसान इन मशीनरी को किराये पर ले सकें। अंत में, एक ग्रामोन्मुख कृषि कैडर तैयार किया जाना चाहिए जिसमें कृषि में रुचि रखने वाले कृषि विज्ञानी हों। कृषि छात्रों से गांवों में जाने और किसानों को शिक्षित करने के लिए कहा जाना चाहिए।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–41402278, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, वैबसाईटः www.bks.org.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।